

# कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, .....

## हैरियत प्रमाण-पत्र

संज्ञानीय अधिकारी  
द्वारा प्रमाणित  
पारापोर्ट साइज का  
नवीनताग फोटोग्राफ  
नसा किया जाय

1. प्रार्थी का नाम (व्यक्ति/फर्म/संरथा का नाम).....
2. पिता/पति का नाम .....
3. निवारा रथान
  - (अ) पूरा स्थायी पता दूरभाष सहित.....
  - (ब) अरथाई पता दूरभाष सहित.....
4. व्यवसाय .....
5. सम्पत्ति का विवरण— जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के द्वारा चल/अचल राष्ट्रिय/हैरियत के संबंध में पूरा विवरण निम्न प्रकार से दिया जाय।
  - i) अचल सम्पत्ति— जमीन/भूखण्ड/मकान/दुकान/व्यवराधिक प्रतिष्ठान/उद्योग धन्धे आदि का पूरा विवरण। यह राष्ट्रिय उकेदार के नाम है अथवा विस्तीर्णी अन्य धारेता के नाम से है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। इस संबंध में राक्षण अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय। राष्ट्रिय का गूल्यांकन/वाजार गूल्य तथा सम्पत्ति वैक अथवा किसी वित्तीय संरथा में मार्गज हो तो उराका विवरण दिया जाय।
  - ii) चल सम्पत्ति— मोटर वाहन/निर्गण कार्पोरी में प्रयुक्त गशीनों तथा अन्य चल राष्ट्रिय का पूरा विवरण दिया जाय। यह राष्ट्रिय उकेदार के नाम है अथवा विस्तीर्णी अन्य व्यक्ति के नाम से है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। इस संबंध में राक्षण अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय। सम्पत्ति का गूल्यांकन/वाजार गूल्य वित्तना है। यह सम्पत्ति वैक अथवा किसी वित्तीय संरथा में मार्गज हो तो उराका विवरण दिया जाय।
6. वैक अथवा वित्तीय संरथा में कोई धनराशि हो तो इसके लिए वैक का नाम/साता रांखा एवं उरागें रखी धनराशि का विवरण दिया जाय। इसके लिए वैक अथवा वित्तीय रांखा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।
7. हैरियत प्रमाण पत्र के लिए हैरियत के रूप में यदि वैक में जगा धनराशि दर्शायी जाती है तो वह धनराशि कम से कम तीन माह पहले रो वैक में जगा होनी चाहिए और कार्पोरी पूरा होने तक वैक में अवश्य जगा रहनी चाहिए।
10. प्रार्थी का पैन नम्बर..... है।

मेरे द्वारा श्री (यहाँ व्यक्ति/फर्म/संरथा आदि का नाम लिखा जाय)..... की चल और अचल राष्ट्रिय के बारे में तथ्यों की जानकारी कर ली गई है और उराका विवरण उपरोक्तानुसार दिया गया है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी जानकारी में उपरोक्त सभी तथ्य राही हैं और तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर  
जिला गजिरद्रेट/कलेक्टर  
(गुहर राहित)

- नोट:-1. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा यह प्रमाण-पत्र अपने रख्य के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। उसके रथान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
2. प्रमाण-पत्र देने के पूर्व यह आवश्यकतानुसार राहरीलदार/एस०टी०ए०/ अपर जिलाधिकारी/वैक अधिकारी अथवा विस्तीर्णी अन्य अधिकारी रो जॉच कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
3. संबंधित व्यक्ति से रख्योंका शपथ-पत्र भी ले सकते हैं।
4. यह प्रमाण-पत्र रागान्वयता: दो वर्ष के लिए गान्व होगा। यदि इसरो पूर्व कोई गहतापूर्ण विकल्प आदि होता है अथवा सम्पत्ति में परिवर्तन होता है या कभी आती है तो संबंधित व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूखना यह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण-पत्र में संशोधन जारी किया जायेगा।
5. इस प्रमाण-पत्रों की प्रविधि जिलाधिकारी कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विविहत अंकेत की जायेगी और निर्गत प्रमाण-पत्र वी एक प्रमाणित फोटो प्रति रजिस्टर में अवश्य रखी जायेगी।
6. इस प्रमाण-पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने को संबंध में अनियन्त्रित नियन्त्रित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा।
7. संबंधित व्यक्ति द्वारा पारापोर्ट साइज का अपना नवीनताग फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, हैरियत प्रमाण-पत्र के ऊपर निर्धारित रथान पर चर्चा किया जायेगा।